कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद बांदा।

पत्रांक : भ–152/2020(निविदा–लघुनिर्माण) दिनाक : मार्च 20 2021

अल्पकालीन निविदा सूचना

उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय लखनऊ द्वारा आवंटित अनुदान के सापेक्ष पुलिस लाइन बांदा में मानक मद–25 लघु निर्माण के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष–2020–21 हेतु लघुनिर्माण के निम्नलिखित कार्यो की निविदा राजकीय विभाग के पंजीकृत/अनुभवी निविदादाताओं से दिनांक 21.03.2021 से दिनांक 23.03.2021 को अपरान्ह 02.00 बजे तक आमंत्रित की जाती है। टेण्डर बाक्स/निविदा दिनांक 23.03.2021 को उसी दिन अपरान्त 04.00 बजे तक पुलिस अधीक्षक कार्यालय बॉदा में अपर पुलिस अधीक्षक बॉदा की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा ठेकेदार अथवा उनके प्रतिनिधि के समक्ष खोली जायेगी। अवकाश/अन्य कारण की दशा में टेण्डर बाक्स अगले कार्य दिवस में उसी समय खोली जायेगी। निविदा सूचना विभाग की वेबसाइट http://banda.nic.in/, पर भी उपलब्ध है।

कार्य सं0	कार्य का नाम	कार्य के आगणन की धनराशि रूपयों में	कार्य पूर्ण करने की अवधि	धरोहर धरोहर	निविदा प्रपत्र का मूल्य +स्टेश्नरी सहित
1.	पुलिस लाइन बॉदा क्वार्टर गार्द में 01 गार्द रूम के निर्माण	रू0–4,76,099/-	इसी वित्तीय वर्ष तक	रू0–48500/–	75+500=570
2.	पुलिस लाइन मेन गेट पर बड़े गेट का निर्माण।	रू0–3,12,166/–	इसी वित्तीय वर्ष तक	रू0–31500/–	75+500=575
3.	पुलिस लाइन स्थित चक्की हेतु कक्ष का निर्माण।	रू0–3,48,478/–	इसी वित्तीय वर्ष तक	रू0–35000/–	75+500=575

नियम एंव शर्ते

1. निविदादाता को जिलाधिकारी द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र (आई0डी0टी0–1), हैसियत प्रमाण पत्र (आई0डी0टी0–2), शासन द्वारा निर्धारित घोषणा पत्र (आई0डी0टी0–3) रू. 100.00 के स्टैम्प पेपर पर जो कि नोटरी द्वारा सत्यापित हो तथा अनुभव प्रमाण पत्र, जी0एस0टी0 नम्बर, पैन नम्बर की छायाप्रतियां व मु0 100.00 रूपये के जुडिशियल स्टैम्प पेपर, धरोहर धनराशि रूपये 1.00 का रसीदी टिकट लगाकर अनुबन्ध लिखना होगा कि दरें 90 दिवस तक मान्य होगी, जिसकी प्रतियॉ टेण्डर के साथ जमा करना आवश्यक होगा।
2. ठेकेदार को टेण्डर खरीदते समय पुलिस कार्यालय में अपने राजकीय विभाग में रजिस्ट्रेशन कराये जाने की छायाप्रति जमा करनी आवश्यक है।
3. निविदा के साथ 10 प्रतिशत धरोहर धनराशि के रूप में एन0एस0सी0, एफ0डी0आर0,सी0डी0आर0/के0वी0पी0 पुलिस अधीक्षक बॉदा के पक्ष में बन्धक हो अथवा नगद धनराशि के रूप में जमा करना अनिवार्य है तथा निविदा शुल्क पुलिस अधीक्षक, बॉदा कार्यालय में देना अनिवार्य होगा।
4. नियमानुसार देय जी.एस.टी., आयकर, स्टैम्प ड्यूटी, रॉयल्टी, लेबर सेस आदि की प्रचलित दर पर टैक्स देना होगा। अनुवन्ध के समय नियमानुसार स्टैम्प ड्यूटी की धनराशि जमा करनी होगी तथा निर्धारित अवधि तक कार्य पूर्ण करना होगा।
5. कार्य स्थल की आवश्यकतानुसार कार्य की मात्रा घटाई/बढ़ाई जा सकती है जिसके लिए निविदादाता का कोई क्लेम मान्य नही होगा।
6. यह माना जाएगा कि निविदा देने वाले ने विभाग के स्पेशिफिकेशन व निविदा के साथ संलग्न शर्तों, धाराओं व नियमों को ध्यानपूर्वक पढ़ व समझ लिया है। वह उनके अनुसार कार्य करने पर सहमत है। ठेकेदार का दायित्व होगा कि निविदा डालने के पूर्व निर्माण कार्य स्थल व सामग्री ले जाने हेतु पहुंच मार्ग का परीक्षण कर लें एवं पूर्ण संतुष्टि के उपरान्त ही निविदा प्रक्रिया में प्रतिभाग करें। निविदा प्रकिया में वैध ठेकेदार ही भाग ले सकेगा।
7. यदि कोई निविदादाता निर्धारित विधि एवं प्रक्रिया के विरूद्ध अनुबन्ध करने हेतु सक्षम प्राधिकारी पर दबाव/असम्यक असर डालता है तो प्रश्नगत निविदादाता के न्यूनतम निविदा की स्थिति में भी उसकी निविदा निरस्त की जा सकेगी।
8. विशेष परिस्थितियों में निविदा खोलने की तिथि/समय में यदि कोई परिवर्तन होता है तो इसकी सूचना नोटिस वोर्ड एवं चस्पा एवं निविदादाता अथवा उसके मोबाइल पर उपलब्ध करा दी जायेगी।
9. शासनादेश संख्या 622 दिनाकं 08.06.2012 के अन्तर्गत ठेकेदार को 10 प्रतिशत कम दर तक 0.50 प्रतिशत प्रति एक प्रतिशत कम दर पर तथा 10 प्रतिशत से अधिक कम दर पर 1 प्रतिशत प्रति 1 प्रतिशत कम दर पर अतिरिक्त सिक्योरिटी/परफारमेन्स गारण्टी देय होगी।
10. बिना औचित्य एवं बिना किसी आधार के दरें डाले जाने पर निविदा निरस्त किये जाने एवं निविदादाता पर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। निविदादाता को श्रमविभाग से नियमानुसार पंजीयन कराना अनिवार्य है।
11. ठेकेदार को सभी कार्यो के टेण्डर डालना आवश्यक है। अगर कम कार्यो के ठेण्डर डाले गये तो ऐसे टेण्डर मान्य नहीं होगें। डिफाल्टर निविदादाता निविदा प्रकिया में भाग नहीं ले सकेंगे साथ ही किसी राजकीय विभाग में पंजीकृत ठेकेदार भी निविदा प्रकिया में प्रतिभाग कर सकते हैं। टण्डर बाक्स बंद करते समय सभी ठेकेदारों को उपस्थित रहकर अपने हस्ताक्षर करना आवश्यक होगें तथा टेण्डर खोलते समय सभी ठेकेदारों की उपस्थिति अनिवार्य होगी।
12. निविदादाता अपने हस्ताक्षर के नीचे अपना पूरा नाम, मोबाइल नंबर व पता साफ–साफ लिखें। उसी पते पर उससे अनुवन्ध सम्बन्धी पत्र व्यवहार किया जाएगा। टेण्डर स्वीकृत होने की दशा में दूसरे दिन अनुबन्ध की कार्यवाही पूर्ण करना अनिवार्य होगा। ऐसा न करने पर टेण्डर निरस्त कर दिया जायेगा और जमानत राशि जब्त कर ली जायेगी।
13. यदि निविदादाता मजदूरों को कार्य स्थल पर रखता है तो उसे अपने खर्चे पर मजदूरों के रहने, पानी पीने, शौंच, सफाई इत्यादि का उचित प्रबन्ध करना होगा। निविदादाता कार्य करते समय कार्य में लगे मजदूरों को सभी प्रकार की दुर्घटना से बचाने का यथा सम्भव प्रयत्न रखेगा व केन्द्रीय व राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किये गए सुरक्षा सम्बन्धी सलाहों, नियमें का कड़ाई से पालन करेगा। इस पर भी यदि कार्य करते समय कार्य स्थल पर कोई दुर्घटना हो जाती है तो उसका नियमानुसार मुआवजा इत्यादि देने का उत्तरदायित्व निविदादाता का होगा। इस सम्बन्ध में विभाग कोई दावा स्वीकार नहीं करेगा।
14. उ0प्र0 शासन लखनऊ निर्देशानुसार कोविड–19 कोरोना वायरस के दृष्टिगत कार्यस्थल सोशल डिस्टेसिंग,सैनीटेशन एवं सैनिटाईजेशन का पालन ठेकेदार द्वारा कराया जायेगा। इस सम्बन्ध में समय–समय पर जारी शासनादेश एवं निर्देशों का पालन भी ठेकेदार द्वारा कराया जायेगा।
15. इस निविदा को पूर्व या आंशिक रूप से निरस्त करने का अधिकार बिना कारण बताये अधोहस्ताक्षरी के पास सुरक्षित रहेगा। निविदा के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने पर न्यायिक क्षेत्राधिकारी बॉदा होगा।

20.3.21

अपर पुलिस अधीक्षक,
बॉदा।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. पुलिस महानिरीक्षक चित्रकूटधाम मण्डल, बांदा।
2. आयुक्त चित्रकूटधाम मण्डल, बांदा।
3. जिलाधिकारी बांदा।
4. मुख्य चिकित्साधिकारी बॉदा।
5. मुख्य विकास अधिकारी बांदा।
6. जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी बॉदा को उक्त सूचना की एक–एक प्रति इस आशय से कि उपरोक्त सूचना एन0आई0सी0 की वेबसाइट पर निःशुल्क अपलोड कराने का कष्ट करें।

Scanned with CamScanner

मूल पर नहीं:–
प्रतिलिपि–

1. सम्पादक दैनिक [handwritten] को इस आशय से प्रेषित कि उक्त निविदा का प्रकाशन आगामी अंक में कम से कम स्थान पर पाइंट–10 में प्रकाशित करने का कष्ट करें।
2. सम्पादक दैनिक [handwritten] को इस आशय से प्रेषित कि उक्त निविदा का प्रकाशन आगामी अंक में कम से कम स्थान पर पाइंट–10 में प्रकाशित करने का कष्ट करें।
3. क्षेत्राधिकारी भवन/लाइन को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4. प्रतिसार निरीक्षक पुलिस लाइन बॉदा को इस निर्देश के साथ कि सभी सम्बन्धित ठेकेदारों को सूचित एवं प्रचार प्रसार करायें तथा तथा अधिक से अधिक टेण्डर डलवायें एवं उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें।
5. प्रभारी सी0सी0टी0एन0एस0 पुलिस कार्याल बांदा को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. श्री अनीस अहमद, दफतरी पुलिस कार्यालय बॉदा को 50 प्रतियॉ इस निर्देश के साथ कि समस्त राजकीय विभाग एवं निर्माण कार्यदायी संस्थाओं के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करायें एवं टेण्डर प्रकिया में अपेक्षित सहयोग करना सुनिश्चित करें

20.3.21

अपर पुलिस अधीक्षक,
बॉदा।

Scanned with CamScanner